न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2024/48 (जीसीएमएस नम्बर 2024/661)

1. दाताराम गुर्जर पुत्र श्री सुल्तान गुर्जर ग्राम दौलतपुर पोस्ट सूरतगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी थानागाजी, अलवर।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी थानागाजी, जिला अलवर निर्णय दिनांक 31.07.2023

उपस्थित :–

1. श्री ध्रुवसिंह बगडिया, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –29.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 31.07.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार थानागाजी के पत्रांक 2502 दिनांक 07.07.2023 द्वारा राजस्व ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का क्यारा, ग्राम पंचायत क्यारा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर में आबादी विस्तार के प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के दौरान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी, जिला अलवर को प्रेषित किये गये। आबादी विस्तार के प्रस्ताव में हाल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 14.33 है0 में से 2.00 है० पर मौके पर आबादी बसी होने के कारण भूमि को सेट अपार्ट कर ग्राम पंचायत को आवंटित किये जाने का निवेदन किया है ताकि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में नियमानुसार आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किये जाने के कार्य में प्रगति आ सके। ग्राम पंचायत द्वारा भी ग्राम सभा दिनांक को बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अपने पत्रांक ग्राम पं. क्यारा/2021–22/SP-1 दिनांक 03.12.2021 द्वारा निवेदन किया है कि हाल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 14.33 है० में से 2.00 है० वर्तमान में मुख्य आबादी के लगती हुई राजकीय भूमि पर विगत लगभग 20 वर्षो से अधिक समय पूर्व से आबादी बसी हुई है। अतः मौके पर बसी आबादी की भूमि को सेट अपार्ट कर ग्राम पंचायत क्यारा को आवंटित की जाकर सुपुर्द की जावे ताकि ग्राम पंचायत प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवासीय पट्टा प्रदान कर सके।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी विस्तार हेतु नियमानुसार राजकीय भूमि सेट अपार्ट (आरक्षित) किये जाने के प्रावधान बने हुये है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.3 (13) राज.6/2023/19 दिनांक 17.04.2023 द्वारा आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित किये जाने को जिला कलक्टर पर आरोपित कर्तव्य व शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को प्रत्यायोजित की गई है जिनका उपयोग करते हुये उपखण्ड अधिकारी थानागाजी, जिला अलवर ने राजस्व ग्राम दौलतपुरा खसरा नम्बर 06 रकबा 14.33 हैक्टेयर में से 2.00 हैक्टेयर पटवार हल्का क्यारा, ग्राम पंचायत क्यारा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर को आबादी विस्तार हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 01.06.1983, 03.10.2017, 07.07.2017 व 07.09.2017 के परिपेक्ष्य में आरक्षित (सेट अपार्ट) करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2023 पारित किये गये हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी थानागाजी, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 31.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा आराजी खसरा नंबर 01 लगायत 06 सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु एक जनहित याचिका संख्या 1795/2021 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई कर अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश दिनांक 11.02.2021 पारित कर जिला कलेक्टर अलवर को खसरा नंबर 01 से 06 पर किए गए अतिक्रमण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर पारित आदेश की पालना दो महीने में किया जाना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 फरवरी 2021 की पालना हेतु प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमान जिला कलेक्टर को आदेश सुपुर्द किया गया तथा आदेश की पालना हेतु निवेदन किया गया परंतु श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं की गई जिससे व्यधित होकर अपीलार्थी के द्वारा D.B.C.C.P No. 274/2022 प्रस्तुत की गई जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार थानागाजी को पक्षकार बनाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश की पालना नहीं करने के संदर्भ में नोटिस जारी कर कारण पूछा गया। उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट थानागाजी अलवर के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 फरवरी 2021 की पालना करने की बजाय खसरा नंबर 06 ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर पर नियम विरुद्ध आबादी विस्तार का आदेश दिनांक 31 जुलाई 2023 पारित कर सरकारी भूमि को रकबे से कम कर दिया है। उपखंड अधिकारी थानागाजी के द्वारा आबादी विस्तार हेतु पारित किया गया आदेश दिनांक 31 जुलाई 2023 प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 फरवरी 2021 के तहत आबादी विस्तार हेतु पारित किए गए खसरा नंबर 06 से अतिक्रमण हटाने हेतु आदेशित किया गया था तथा पालना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना लंबित थी। खसरा नंबर 6 का कुल क्षेत्रफल 14.33 हेक्टेयर है जिसमें से 2 हेक्टेयर आबादी विस्तार हेतु परिवर्तित किया गया है, उपखण्ड अधिकारी थानागाजी ने खसरा नंबर 6 के कुल क्षेत्रफल में से आबादी विस्तार का नक्शा ट्रेस जारी नहीं किया गया है। आबादी हेतु पूर्व में खसरा नंबर 154, 426, 431 कुल खसरा 03 रकबा 5.360 हेक्टेयर परिवर्तित की जा चुकी है वर्तमान परिपेक्ष में आबादी विस्तार हेतु भूमि की आवश्यकता नहीं थी। उसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार का आचरण रखते हुए राजकोष को वित्तीय घाटा एवं सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से आदेश दिनांक 31 जुलाई 2023 पारित किया गया है। खसरा नंबर 6 ग्राम दौलतपुरा पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमणकारी भूमिहीन व्यक्ति नहीं है अर्थात उनके पास खातेदारी की काफी सारी भूमि उपलब्ध है इसलिए उनको लाभान्वित करने के उद्देश्य से आबादी विस्तार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में यह प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति के पास निवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तथा खातेदारी की कृषि भूमि आबादी क्षेत्र से दूर है एवं उसके आने–जाने के लिए सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति को उसके रहने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकरण में अतिक्रमणकारियों को रहने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी थानागाजी के द्वारा खसरा नंबर 06 में से आबादी हेतु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जमीन दी गई है। अतिक्रमणकारी भूमिहीन व्यक्ति नहीं है तथा गाव के नजदीक और आम रास्ते पर उनकी खातेदारी की भूमि पूर्व से ही स्थित है तथा एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। ग्राम दौलतपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 808 है जिसके अनुसार आबादी हेतु 23 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जबकि ग्राम दौलतपुरा की आबादी के लिए विगत 2–3 वर्षों में करीब 10 हैक्टेयर भूमि का आवंटन अधिकारियों के द्वारा अपने चहेतों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से किया जा चुका है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 फरवरी 2021 की पालना हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट थानागाजी अलवर के द्वारा खसरा नंबर 01 से 06 पर से अतिक्रमण हटाने हेतु धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिए गए तत्पश्चात नोटिस पर निर्णय पारित किया गया और उपरोक्त खसरा नंबरों से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु आदेश पारित किए गए। आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार थानागाजी के द्वारा टीम का गठन कर अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश दिनांक 3 मार्च 2023, 14 मार्च 2023, 15 मई, 2023 पारित किए गए परंतु उक्त आदेशों को उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के द्वारा नजरअंदाज किया गया। अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में जिला कलेक्टर अलवर एवं तहसीलदार थानागाजी के समक्ष जनसुनवाई में परिवाद प्रस्तुत कर उपरोक्त खसरा नंबरों की भूमि को आबादी में परिवर्तित नहीं करने की आपत्ति दर्ज करवाई थी जिसको श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा दिनांक 9 सितंबर 2012 को स्वीकार कर आबादी विस्तार के प्रस्ताव को नकार दिया गया परंतु उपखण्ड अधिकारी ने अपने चहेते अतिक्रमणकारियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से संपूर्ण खसरा नंबर को बर्बाद करने के उद्देश्य से आदेश दिनांक 31 जुलाई 2023 पारित किया है। आनंन–फानन में पारित किए गए आदेश दिनांक 31 जुलाई 2023 के आबादी विस्तार के संदर्भ में खसरा नंबर 06 में से आवंटित आबादी विस्तार की नामांतरण कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि दावे/न्यायिक कार्यवाही के दौरान कपट पूर्वक अचल संपत्ति का व्ययन किया जाता है तो वह प्रारंभ से ही शून्य है। यह प्रावधान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई 2023 के संबंध में भी लागू होता है क्योंकि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से चल रही थी और इसी दौरान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के द्वारा अपनी पदीय शक्ति का गलत उपयोग किया। अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई 2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को आदेशित किया जावे की खसरा नंबर 6 के संदर्भ में आदेश दिनांक 31 जुलाई 2023 से पूर्व की स्थिति सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण में आबादी विस्तार हेतु आवास विहिन परिवारों की सूची प्राप्त किया जाना तथा जनसंख्या के अनुपात में आबादी विस्तार की आवश्यकता का आंकलन किया जाना ज्ञात नहीं होता है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आबादी भूमि की जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान उपलब्धता तथा आवश्यकता का पूर्ण आंकलन कर आवास विहिन परिवारों की सूची प्राप्त की जाकर तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अतर्गत बेदखली हो जाने के बावजूद आबादी बसे होने के तथ्य की प्रमाणिकता पूर्णतः सुनिश्चित कर उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी, जिला अलवर दिनांक 31.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आबादी भूमि की जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान उपलब्धता तथा आवश्यकता का पूर्ण आंकलन कर आवास विहिन परिवारों की सूची प्राप्त की जाकर तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अतर्गत बेदखली हो जाने के बावजूद आबादी बसे होने के तथ्य की प्रमाणिकता पूर्णतः सुनिश्चित कर उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर